

12/4/18

सद्विक्रम दिनांक 11.1.18
को पालन में पत्रवाली व
दिनांक 16/4/18

उपखण्ड अधिकारी
कानून (अलवर)

16/4/18 पकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक
अदालत/कैम्प कोर्ट में प्रेषित किया जाया जाता है। अतः पत्रवाली
लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 31/5/18 को पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी
कानून (अलवर)

31.5.18

पत्रवाली कैम्प कोर्ट में प्रेषित किया जाया जाता है। अतः पत्रवाली
लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 31/5/18 को पत्र हो।
अतः पत्रवाली कैम्प कोर्ट में प्रेषित किया जाया जाता है। अतः पत्रवाली
लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 31/5/18 को पत्र हो।
अतः पत्रवाली कैम्प कोर्ट में प्रेषित किया जाया जाता है। अतः पत्रवाली
लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 31/5/18 को पत्र हो।
अतः पत्रवाली कैम्प कोर्ट में प्रेषित किया जाया जाता है। अतः पत्रवाली
लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 31/5/18 को पत्र हो।
अतः पत्रवाली कैम्प कोर्ट में प्रेषित किया जाया जाता है। अतः पत्रवाली
लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 31/5/18 को पत्र हो।

31.5.18